झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

शुद्धि–पत्र

विभागीय अधिसूचना संख्या–1154 दिनांक–18.09.2014 द्वारा निर्गत झारखण्ड उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली–2014 की अध्याय–5 की कंडिका–13 (ख) में अंकित "बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली–1987 (दिनांक–15.11.2011 से झारखण्ड राज्य में प्रवृत)" के स्थान पर "बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली–1987 (दिनांक–15.11.2000 से झारखण्ड राज्य में प्रवृत)" तथा

(II) अध्याय–6 की कंडिका–14 (i) में " (बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली–1987, (दिनांक–15.1.2011 से झारखण्ड राज्य में प्रवृत)" के स्थान पर "(बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली–1987, (दिनांक–15.11.2000 से झारखण्ड राज्य में प्रवृत)" पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना में अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

3. उक्त प्रतिस्थापन/संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सचिव,
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 1302 /रांची, दिनांक 22.10.2014
01/उ0वि0/स्था0 (नियमावली)–19/09

प्रतिलिपिः नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
उद्योग विभाग

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

01/उ0वि0/स्था0 (नियमावली)–19/09

रांची, दिनांक 18-09-2014

संख्या 1154/भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य के राज्यपाल एतद् द्वारा उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केंन्द्रों में उद्योग विस्तार पदाधिकारी सम्वर्ग के कर्मियों की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :–

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–

i) यह नियमावली "झारखण्ड उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।

ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

iii) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :–

i) "राज्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।

ii) "विभाग" से अभिप्रेत है उद्योग विभाग।

iii) "सेवा का सदस्य" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति।

iv) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, सेवा संख्या बल या अलग इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा का एक अंग।

v) "आयोग" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा इस संवर्ग में नियुक्ति हेतु अधिसूचित कोई अन्य निकाय।

vi) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है उद्योग निदेशक, झारखण्ड।

vii) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है उद्योग निदेशक, झारखण्ड।

viii) "नियमावली" से अभिप्रेत है झारखण्ड उद्योग विस्तार पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली।

ix) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार/ संबंधित विभाग।

x) "परिवीक्ष्यमान" से अभिप्रेतहै परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति।

सेवा/संवर्ग की संरचना :–

i) इस संवर्ग में निम्नांकित पद/वेतनमान होगा :–

पद	वेतनमान
उद्योग विस्तार पदाधिकारी	5000–8000 (अपुनरीक्षित) **PB-II**- 9300–34800, ग्रेड पे–4200(पुनरीक्षित)

ii) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उद्योग विस्तार पदाधिकारी के पद पर नियुक्त/नियमानुसार समायोजित एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जाएगें।

अध्याय–2

भर्त्ती/नियुक्ति

4. इस सेवा/संवर्ग में नियुक्ति अधिकारी उद्योग निदेशक, झारखण्ड, रांची होंगे।

5. **भर्त्ती का श्रोत**– इस सेवा/संवर्ग के शत प्रतिशत पदों पर भर्त्ती सीधी नियुक्ति द्वारा झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संवर्ग में नियुक्ति हेतु अधिसूचित कोई अन्य निकाय की अनुशंसा पर की जायेगी।

6. **रिक्तियों का अवधारण एवं आयोग को इसकी सूचना**:–नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक पंचांग (कैलेण्डर) वर्ष की पहली जनवरी के आधार पर वास्तविक रिक्तियों की गणना की जाएगी तथा आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

7. **रिक्तियों का आरक्षण** :–

   i) सेवा/संवर्ग में नियुक्ति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गो के लिए रिक्तियों का आरक्षण/रोस्टर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत पत्रों यथा विहित रीति एवं प्रकिया के अनुसार किया जाएगा।

   ii) इस संवर्ग में सम्मिलित पद पूर्णतः राज्यस्तरीय हैं, अतः इनमें राज्य स्तरीय रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा।

अध्याय–3

सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति

8. आयोग द्वारा रिक्तियों की घोषणा एवं प्रकाशन :– सेवा/संवर्ग में सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या एवं पदों (डिसीप्लिन जैसा कि भाग–2 के नियम 5 एवं 6 में निहित है) को आयोग यथोचित रीति से जैसा कि वे उपयुक्त समझें निष्पादित करेगा और सेवा/संवर्ग में भर्त्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। परीक्षा का आयोजन झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा निर्धारित विषय, पाठ्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा। आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, आवेदन का प्रपत्र एवं अन्य बातें आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी एवं इसे सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति के माध्यम से दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी।

9. सीधी नियुक्ति हेतु योग्यता/अर्हताएँ :–

i) शैक्षणिक योग्यता :– सेवा/संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–
केमिकल, मेकनिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, मेटालर्जी में से किसी एक में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0टेक0/बी0ई0 डिग्री या समकक्ष।

अथवा

बी0ए0 की डिग्री अर्थशास्त्र विषय के साथ, बी0एस0सी0 की डिग्री गणित या सांख्यिकी या पर्यावरण या फुडटेक्नोलॉजी या नैनोटेक्नोलोजी विषय के साथ, बी0एस0सी0–रेशम/कृषि/वानिकी/वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड से मलवरी/नन मलवरी में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (PGDS), बी0कॉम0 डिग्री, चार्टेर्ड एकाउन्टेंट (ICIAI), कास्ट एकाउटेंसी (ICWA), व्यापार प्रबंधन में स्नात्तक डिग्री, बी0सी0ए0, बी0टेक0 (टेक्सटाईल) में से किसी एक में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।

समय–समय पर विभाग की आवश्यकता के अनुरूप उपर्युक्त अपेक्षित योग्यता में संवर्धन किया जा सकेगा।

ii) परीक्षा का पाठ्यक्रम :– प्रतियोगिता परीक्षा का विषय, सिलेबस एवं प्राप्तांक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

iii) उम्र :– सेवा/संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत पत्रों के आलोक में सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए निर्धारित की जायेगी।

iv) उम्मीदवारों का चयन :– आयोग अभ्यर्थियों से प्राप्त सभी उपयुक्त आवेदन पत्रों पर विचार करेगी तथा यथोचित रीति से पाठ्यक्रम के अनुरूप लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय, एक मेधा सूची आरक्षण कोटिवार तैयार करेगा तथा अपनी अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को उपलब्ध कराएगा।

10. **स्वास्थ्य परीक्षा** :– नियुक्ति हेतु चयनित एवं योग्य प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद के समक्ष या जैसा कि राज्य सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया जाय स्वास्थ्य परीक्षा करनी होगी। जो उम्मीदवार पद के कर्त्तव्यों के कुशलता पूर्वक सम्पादन के लिए अपेक्षित शारीरिक स्वास्थ्यता के संबंध में चिकित्सा पर्षद को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, वे नियुक्ति के योग्य नहीं समझे जाएगें।

अध्याय– 4

परिवीक्षा एवं सम्पुष्टि

11. **परिवीक्षा** :– सेवा/संवर्ग में नियुक्ति परीक्ष्यमान आधार पर होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की होगी। अर्थात प्रत्येक कर्मी पद ग्रहण की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्ष्यमान रहेगा। यदि नियुक्त कर्मी की सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं होगी तो उसकी परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी। किन्तु यदि नियुक्त कर्मी की सेवा एवं आचार विस्तारित अवधि में भी संतोषप्रद नहीं रहा तो ऐसे कर्मी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

(111)

12. **सम्पुष्टि :–** इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी परिवीक्ष्यमान रूप से नियुक्त कर्मी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नांकित शर्त्तों के अधीन नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा सेवा में स्थायी नियुक्ति का पात्र होगा :

(क) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था/निकाय द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एवं जनजातीय भाषा, लेखा में उर्तीणता प्राप्त कर लिया हो।

(ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम (MSME Act)/ झारखण्ड उद्योग नीति/पुर्नवास नीति/ लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) वित्त पोषण/भारत सरकार के उद्योग से संबंधित योजना/राज्य की योजनाएं (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम/वाणिज्य/औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग/भारी उद्योग) इत्यादि मंत्रालय की योजनाएं उद्योग श्रम कानून, औद्योगिक विकास पंचवर्षीय योजना, कम्प्यूटर दक्षता का ज्ञान एवं Global Perspective in Industry.

(ग) जाँच परीक्षाओं का आयोजन राजभाषा विभाग/राजस्व पर्षद/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाएगा।

(घ) परिवीक्ष्यमान् अवधि में कर्मी का आचरण एवं सेवा संतोषप्रद रहा हो।

(ङ) सरकार /नियुक्ति प्राधिकार संतुष्ट हो कि वे ऐसे स्थायी नियुक्ति के योग्य हैं।

अध्याय– 5
प्रोन्नति

13. प्रोन्नति :–

(क) उद्योग विस्तार पदाधिकारी पद पर कार्यरत कर्मी अपने पद पर तब तक बने रहेंगें जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उन्हे वरीयता सह योग्यता के आधार पर सरकार द्वारा निर्णित अनुपात के आलोक में आरक्षण कोटिवार एवं रोस्टर के आधार पर राज्य उद्योग सेवा संवर्ग के प्रवेश बिन्दु परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पदों वेतनमान् PBII-9300-34,800 ग्रेड पे–4800 पर प्रोन्नति नहीं दी जाती है। प्रोन्नति का आधार वरीयता–सह–योग्यता होगा।

(ख) बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली 1987(दिनांक 15.11.2011 से झारखण्ड राज्य में प्रवृत) की अनुसूची–IV में वर्णित अधिनस्थ सेवा के स्वीकृत पद बल राज्य उद्योग सेवा संवर्ग के प्रवेश बिन्दु परियोजना प्रबन्धक एवं समकक्ष पदों पर प्रोन्नति के लिए अनुमान्य होगी किन्तु इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्दिष्ट सिद्धान्तों/मानदण्डों के आधार पर संशोधन किया जा सकेगा।

(ग) राज्य सरकार के सुसंगत नियमों द्वारा निर्धारित एवं विहित शर्त्तों एवं योग्यताओ को पूर्ण करने वाले योग्य कर्मी ही प्रोन्नति के पात्र होगें तथा वे कर्मी ही प्रोन्नति पाने के हकदार होंगे जिनकी सेवा सम्पुष्ट हो चुकी है।

(घ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 398, दिनांक 16.01.2012 के द्वारा के प्रावधानानुसार कालावधि निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संगत पत्र लागू होगें।

(ङ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–6147 दिनांक 07.11.2003 एवं संकल्प संख्या–1385 दिनांक–13.02.2014 तथा समय–समय पर यथा संशोधित गठित विभागीय प्रोन्नति समिति अपेक्षित पात्रता रखने वाले कर्मियों के बीच में से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर कर्मियों का चयन करेगी।

(च) सरकार नियुक्ति प्राधिकार/विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति के लिए कर्मियों का अंतिम चयन करेगी।

अध्याय–6
पदस्थापन एवं स्थानांतरण

14.

i) उद्योग विस्तार पदाधिकारी, संवर्ग के मूल कोटि {बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली–1987, (दिनांक–15.1.2011 से झारखण्ड राज्य में प्रवृत) की अनुसूची–IV में वर्णित अराजपत्रित समूह "ख"} के शत प्रतिशत पदों पर आयोग की अनुशंसा पर सीधी नियुक्ति के उपरांत नियुक्त कर्मचारियों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण राज्य के सभी जिला उद्योग केन्द्र, कार्यालय/उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची में किया जा सकेगा।

ii) सामान्यतः संवर्ग के कर्मचारियों का स्थानांतरण तीन वर्षो तक एक स्थान/कार्यालय में कार्यरत रहने के उपरांत ही किया जायेगा। परन्तु सरकार विशेष परिस्थिति में अथवा अन्य प्रशासनिक कार्यो से तीन वर्ष के पूर्व भी कर्मियों का स्थानांतरण कर सकेगी।

iii) सरकार द्वारा गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आलोक में संवर्गीय कर्मचारियों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण किया जायेगा। इस क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/नियम/अनुदेश का पालन किया जायेगा।

iv) संवर्ग के कर्मी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के उद्योग विस्तार पदाधिकारी पद का फीडर कैडर होगा, जो प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकार में भेजे जाऐंगे।

v) प्राधिकार में जाने के पूर्व सभी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना एवं सेवा सम्पुष्ट होना अनिवार्य होगा।

vi) इस संवर्ग के कर्मी किसी भी प्राधिकार में लगातार तीन वर्ष से ज्यादा प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहेगा तथा अपनी कुल सेवा का 25% से ज्यादा सभी प्राधिकार मिलाकर प्रतिनियुक्ति पर नहीं रह सकेगा। साथ ही इस संवर्ग के कर्मी कम से कम 5 वर्ष की सेवा सरकार में करने के बाद ही प्राधिकार में प्रतिनियुक्त पर जा सकेगा।

vii) संवर्ग के कर्मी किसी एक प्राधिकार में दो टर्म से ज्यादा पदस्थापित नहीं रह सकता है। प्रथम एवं दूसरे टर्म में कम से कम 6 वर्ष का अंतर होगा।

अध्याय–7
कर्त्तव्य एवं कार्य

15. उद्योग विस्तार पदाधिकारी के कर्त्तव्य एवं कार्य जिला उद्योग केन्द्र, कार्यालय/उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची के स्तर पर निम्न प्रकार होंगे।

(I) औद्योगिक इकाईयों के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का।

(II) स्थायी एवं अस्थायी इकाईयों के निबंधन संबंधी सभी कार्य।

(III) निबंधित इकाईयों के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना।

(IV) औद्योगिक इकाईयों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन, अनुदान एवं वित्तीय सहायता से सभी कार्य।

(V) MSME Act, 2006 एवं झारखण्ड उद्योग नीति एवं समय–समय पर निर्गत विभागीय नीतियों के क्रम में उद्योग के विस्तार में सहयोग।

(VI) निजी क्षेत्र तथा MSME/Manufacturing Sector को बढ़ावा देना।

(VII) सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन, मोनेटरिंग।

(VIII) औद्योगिक संगठनों के साथ समन्वय।

(IX) विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य कार्य।

अध्याय–8
विविध

16. **वरीयता** :– i) वरीयता का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा समय–समय पर निर्गत पत्रों के आलोक में किया जाएगा।

17. **प्रशिक्षण** :– सेवा/संवर्ग के प्रत्येक कर्मी को आधारभूत प्रशिक्षण, जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर विनिश्चित करें, के अलावे उनके विशिष्टता वाले क्षेत्र में रिफ्रेशर कोर्स एवं इन सर्विस प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस प्रकार के प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था राज्य सरकार एवं भारत सरकार एवं अन्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण संस्थाओं में की जाएगी।

अध्याय–9
प्रकीर्ण

18. **नियुक्ति प्राधिकार का नियंत्रण** :–

i) उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग में नियुक्त कर्मचारी /पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रशासी विभाग यथा उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशक के नियंत्रणाधीन होंगे।

19. **अनुशासनिक कार्रवाई** :–

i) सेवा/संवर्ग में नियुक्त/नियमानुसार समायोजित सभी कर्मी उद्योग निदेशक, झारखण्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में बने रहेंगे।

ii) सेवा/संवर्ग के समस्त कर्मियों के विरूद्ध सभी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवा (अनुशासन एवं अधीन) नियमावली 1935 के द्वारा नियंत्रित होगी एवं निलंबन/विभागीय कार्यवाही आदि नियुक्ति प्राधिकार के स्तर से की जाएगी तथा जांचोपरांत अपेक्षित निर्णय लेने

एवं दण्ड निरूपित करने की शक्ति नियुक्ति प्राधिकार में निहित होगी। नियुक्ति प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकार विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव/सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार राँची होंगे।

20. **निर्वचन** :– इस नियमावली में जिन विषयों या बातों का समावेश/प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिए राज्य सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

21. **व्याख्या** :– इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या के लिए विभाग सक्षम होगा और उसकी व्याख्या अंतिम होगी।

22. **निरसन** :– इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व के इस संवर्ग से संबंधित प्रासंगिक संकल्प/परिपत्र/अनुदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के प्रभाव से निरसित समझे जाएगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सचिव,
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 1154 01/उ0वि0/स्था0 (नियमावली)–19/09 /रांची, दिनांक 18-09-2014

प्रतिलिपिः नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 1154 01/उ0वि0/स्था0 (नियमावली)–19/09 /रांची, दिनांक 18-09-2014

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 1154 01/उ0वि0/स्था0 (नियमावली)–19/09 /रांची, दिनांक 18-09-2014

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रांची/सभी जिला कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 1154 01/उ0वि0/स्था0 (नियमावली)–19/09 /रांची, दिनांक 18-9-2014

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रांची/सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, रांची/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग

107

ज्ञापांक 1154 / रांची, दिनांक 18-09-2014
01 / उ0वि0 / स्था0 (नियमावली)–19 / 09
प्रतिलिपिः अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची / महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची / सचिव, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 1154 / रांची, दिनांक
01 / उ0वि0 / स्था0 (नियमावली)–19 / 09
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री (उद्योग) के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 1154 / रांची, दिनांक 18-09-2014
01 / उ0वि0 / स्था0 (नियमावली)–19 / 09
प्रतिलिपिः सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड / सभी उपायुक्त, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 1154 / रांची, दिनांक 18-09-2014
01 / उ0वि0 / स्था0 (नियमावली)–19 / 09
प्रतिलिपिः विशेष सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची / उद्योग निदेशक, झारखण्ड, रांची / निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखण्ड, रांची / प्रबंध निदेशक, सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, झारखण्ड / सभी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रांची / महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 1154 / रांची, दिनांक 18-09-2014
01 / उ0वि0 / स्था0 (नियमावली)–19 / 09
प्रतिलिपिः मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड / विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग